प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 01.02.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 01.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.कासिम पुत्र इन्साद अली निवासी हाजी शाहिद होटल वाली गली पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. शाहनवाज पुत्र रियासत निवासी पाल होटल के पीछे किरायेदार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम सिकेड़ा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 23 वर्ष को चौकी क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी । उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है । उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं । हम दोनों पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके हैं । हम दोनों मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं । हम अधिकांशतः फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी करते हैं जिनको ले जाकर घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और मौका पाकर हम वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसा लेकर आपस में बांट लेते हैं । हमने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी । आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने के लिए निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.कासिम पुत्र इन्साद अली निवासी हाजी शाहिद होटल वाली गली पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

2. शाहनवाज पुत्र रियासत निवासी पाल होटल के पीछे किरायेदार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम सिकेड़ा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त कासिम के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व से थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 04 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राइम ब्रान्च, दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है।**(कुल अभियोग-07)**

2. अभियुक्त शाहनवाज के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व से थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर आयुध अधिनियम व चोरी का सामान बरामद होने के संबंध में 02 अभियोग तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राइम ब्रान्च, दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-05) ।**

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 31.01.2026 को मृतक श्रीपाल के भाई गोपाल सिंह के द्वारा थाना खोड़ा पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरा भाई मोटर साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था कि दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 10 बजे रात्रि में मेरा भाई श्रीपाल, सत्यम पुत्र तुलसी सिह तथा अनुराग पुत्र पान सिंह के साथ पंडित होटल पर खाना खाने गये थे वहां होटल के कर्मचारियों के साथ रोटी लेने को लेकर झगड़ा हुआ जिस पर होटल मालिक धर्मेन्द्र शर्मा नागेश,सूरज एवं राजन इकट्ठे हो कर चाकू लेकर आये और वहा मौजूद सत्यम, श्रीपाल व अनुराग के साथ चाकू व लाठी डंडे से मारपीट करने लगे जिसमें तीनों लोग घायल हो गये वहां मौजूद लोग तीनों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली इलाज के लिए ले गये जहां डॉक्टर ने सत्यम व श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया तथा अनुराग का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/103(1) बीएनएस पंजीकृत के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.02.2026 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा निवासी ग्राम नगला बजुआ थाना रिजौर जनपद एटा हाल पता अम्बेडकर

गेट के दाहिने पण्डित होटल न्यू अजन्ता पार्क खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को इतवार पुश्ता टैम्पो स्टेण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अम्बेडकर रोड़ पर वैष्णों शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलाता हूँ। दिनांक 30.01.26 की रात्रि करीब 10 बजे तीन व्यक्ति श्रीपाल, सत्यम, अनुराग खाना खाने के लिए आये थे। खाना माँगने को लेकर होटल पर मेरे कारीगर नागेश से उनकी कहासुनी हो गयी थी। कहासुनी के दौरान उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने नागेश के चाँटा मार दिया था। उसके बाद तीनों व्यक्ति पीछे गली में चले गये थे। नागेश, मैं व अन्य कारीगर आवेश में आ गये थे। उसके कुछ देर बाद योजना बनाकर मैंने, नागेश व विशेष तथा उसके जानकारों को इकट्ठा कर योजना बनाते हुए बदला लेने के उद्देश्य से होटल से लाठी-डंडे व खाना बनाने के चाकू लेकर पीछे गली में पहुँचे। जिन्हें देखकर हम लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे वो तीनों व्यक्ति लहूलुहान हो गये एवं वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। तीनों व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गये थे जिन्हें हम वहीं छोड़कर भाग गये थे। मुझे सुबह पता चला था कि उन तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है एवं तीसरा व्यक्ति भी गंभीर रुप से घायल है जिसका ईलाज चल रहा है। इस वजह से मैं काफी डर गया था और होटल बन्द करके इधर-उधर छुपता घूम रहा था। आज कहीं जाने की फिराक में मैं इतवार पुश्ता पर खडा था कि आपने पकड़ लिया। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा निवासी ग्राम नगला बजुआ थाना रिजौर जनपद एटा हालपता अम्बेडकर गेट के दाहिने पण्डित होटल न्यू अजन्ता पार्क खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध थाना खोडा में हत्या कारित करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।